

5
C/P 28
29/4/15

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

[Civil Writ Jurisdiction]

C.W.J.C. No. of 2015.

Dilip Kumar Mehta

.....Petitioner.

-Verses-

The State of Bihar and others.

.....Respondents.

Sub: - Other Miscellaneous

INDEX

Sl. No.	Particulars	Pages
1.	SYNOPSIS	A to B
2.	An application u/A 226 of the Constitution of India with affidavit.	1 to 11
3.	<u>Annexure:1:</u> The true copy of the Notification No. 777 dated 19.06.08, issued by the Deputy Secretary, Revenue and Land Reforms Department, Government of Bihar.	12 to 13
4.	<u>Annexure:2:</u> A true copy of the letter no.1303 dated 18.09.2008, passed by the Director Land Records and Measurement, Bihar, Patna.	14 to 15
5.	<u>Annexure:3:</u> A true copy of the order dated 16.12.2010 passed in CWJC No. 18646 of 2008.	16 to 17
6.	<u>Annexure:4:</u> A true copy of the representation dated 10.12.2014.	18
7.	<u>Annexure:5:</u> A true copy of the letter no. 867 dated 08.05.2013 written by the then Secretary, Revenue and Land Reforms -cum- Director, Land Records and Measurement, Sri Hukum Singh Meena.	19
8.	VAKALATNAMA	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

[Civil Writ Jurisdiction]

C.W.J.C. No. of 2015.

Dilip Kumar MehtaPetitioner.

-Verses-

The State of Bihar and others.Respondents.

Sub: - Other Miscellaneous

SYNOPSIS

Prayer and Reliefs Sought:-

- The respondents and especially respondent no. 2 & 3 may be directed to immediately open the courts of Assistant Settlement Officer and of Settlement Officer, at Districts- Saharsa, Madhepura and Supoul, so that the long pending cases u/s- 106, 108, 108A and 109 B.T. Act, may be disposed of expeditiously.
- The respondents especially 2, 3, 5, 6 and 7 may further be directed to see that, sufficient staffs are posted in these courts mentioned above for fast disposal of the cases, or
- Pass such other order/orders as this Hon'ble Court may deem fit and proper.

Facts/Dates and Events:-

: - Earlier Settlement Office (Headquarter) Saharas use to cover three districts namely, Saharsa, Supoul and Madhepura. Thereafter, three districts were separated and different Assistant Settlement Officers of Saharsa, Madhepura and Supoul use to hear the matters u/s-106, 108A B.T. Act and the Settlement Officer Saharsa, Madhepura and Supoul use to hear the revision u/s- 108, B.T. Act.

:- Presently more than 40,498 cases are pending u/s-106 B.T. Act, and approximately 3200 or more cases are pending u/s-

7. The Collector-cum-Settlement Officer, Supoul.
8. The Assistant Settlement Officer (Headquarter) –cum- D.C.L.R. Sadar, Saharsa.

.....Respondents.

To,

The Hon'ble Mr. Justice L. Narasimha Reddy, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and his companion justices of the said Hon'ble Court.

The humble writ application on behalf of the petitioner above named.

Most Respectfully Sheweth:-

1. That, this is an application for the issuance of appropriate writ/writs order/orders, directions commanding upon the respondents concerned, for the following reliefs:-
 - a) The respondents and especially respondent no. 2 & 3 may be directed to immediately open the courts of Assistant Settlement Officer and of Settlement Officer, at Districts- Saharsa, Madhepura and Supoul, so that the long pending cases u/s- 106, 108, 108A and 109 B.T. Act, may be disposed of expeditiously.

b) The respondents especially 2, 3, 5, 6 and 7 may further be directed to see that, sufficient staffs are posted in these courts mentioned above for fast disposal of the cases, or

c) Pass such other order/orders as this Hon'ble Court may deem fit and proper.

2. That, the petitioner is a citizen of India and the cause of action to file this application has arisen within the jurisdiction of this Hon'ble Court, and hence this application.

3. That, the petitioner is a raiyat of Bihar Government and a farmer. His fields are in village- Kachara, P.O. - Kachara, P.S. - Saur Bazar, District- Saharsa. The petitioner and several other raiyats of Madhepura, Saharsa and Supoul, like the petitioner are affected and aggrieved because of non functioning of courts of Assistant Settlement Officer and the revisional courts under the B.T. Act, section 106, 108, 108A etc. in Saharsa, Madhepura and Supoul districts.

4. That, earlier Settlement Office (Headquarter) Saharas use to cover three districts namely, Saharsa, Supoul and Madhepura.

Thereafter, three districts were separated and different Assistant Settlement Officers of Saharsa, Madhepura and Supoul use to hear the matters u/s-106, 108A B.T. Act and the Settlement Officer Saharsa, Madhepura and Supoul use to hear the revision u/s- 108, B.T. Act.

5. That, presently more than 40,498 cases are pending u/s-106 B.T. Act, and approximately 3200 or more cases are pending u/s- 108 B.T. Act and other miscellaneous cases, in Saharsa, Madhepura and Supoul Districts.

6. That, by one Notification No. 777 dated 19.06.08, issued by the Deputy Secretary, Revenue and Land Reforms Department, Government of Bihar, the Survey Work in Saharsa Settlement, was closed. This notification further made some arrangements for hearing of pending cases u/s- 106, 108, 108A B.T. Act.

The true copy of the Notification No. 777 dated 19.06.08, issued by the Deputy Secretary, Revenue and Land Reforms Department, Government of Bihar, is being

annexed herewith and marked as
Annexure- 1.

7. That, the Director Land Records and Measurement, Bihar, Patna had issued directions, contained in letter no.1303 dated 18.09.2008, where under instructions were issued to close the revisional survey operations and also to close the forum of Assistant Settlement Officer of hearing the matter under section 106 B.T. Act and the forum of Collector for hearing the revision under section 108, 108A, B.T. Act.

A true copy of the letter no.1303 dated 18.09.2008, passed by the Director Land Records and Measurement, Bihar, Patna, is being annexed herewith and marked as Annexure-2.

8. That, it is clear from the above mentioned annexure 1 & 2 that, the respondents had not considered that, if a person is aggrieved from the order passed u/s- 106 B.T. Act, he had an option of challenging it in revision u/s- 108 B.T. Act. Therefore, the Settlement Officer or Collector i.e. one court may not hear both.

9. That, being aggrieved with the direction mentioned above, one raiyat like this petitioner namely Birendra Rishidev had moved this Hon'ble Court in CWJC No. 18646 of 2008, because even if the survey proceedings have been completed but the objection in the light of the survey entries made in the Khatiyā is to be considered by the Assistant Settlement Officer and the revisional authority.

10. That, the stand of the respondents in that writ application was that, they realized their mistake in closing the forum of Assistant Settlement Officer and the revisional authority and they had taken steps for again establishing the aforesaid forums. This fact is clear from the order dated 16.12.2010 passed in CWJC No. 18646 of 2008.

A true copy of the order dated 16.12.2010 passed in CWJC No. 18646 of 2008 is being annexed herewith and marked as Annexure-3.

11. That, in spite of the above mentioned order of this Hon'ble Court, the courts of Assistant Settlement Officer and the revisional

courts was not allowed to run properly. No proper and competent staffs, such as Peshkars, clerks, peons etc. were posted in these courts. The Assistant Settlement Officer (Md. Reyazuddin Ahmad), who was posted there, was suspended on frivolous charges. The senior and experienced officers were not allowed to work. In the result no case under section 106, 108, 108A B.T. Act, was disposed of and several cases are still pending.

12. That, it is relevant here to mention that, the Bihar Government brought a new Survey Scheme and act, namely "The Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011" published in Bihar Gazette (Ex-Ordinary) dated 22.12.2011, but till date, i.e. after the laps of four years, there is no progress in this survey proceedings, although lakhs and lakhs of public money was spend in the name of this new survey. It is still not clear that how much time will take in completion of this survey.

13. That, the respondents without considering these facts closed the courts of Assistant Settlement Officer and Revisional Courts and presently it is not functioning in Saharsa, Madhepura and Supoul District.

14. That, the petitioner and several other persons personally met with the respondents, and placed their grievances, but the respondents are not ready to hear the petitioner. The petitioner also sent representation through post before respondent no.2 on 10.12.2014, but no heed was paid.

A true copy of the representation dated 10.12.2014 is being annexed herewith and marked as Annexure-4

15. That, the petitioner has come to know that, the then Secretary, Revenue and Land Reforms-cum-Director, Land Records and Measurement, had obtained some opinion from Law Department, Government of Bihar and upon their opinion he directed the Collector-cum-Settlement Officer, Patna, Gaya, Darbhanga, Saharsa, Bhojpur, and Bhagalpur to not to transfer the cases to D.C.L.R. for disposal. This fact is clear from the letter no. 867 dated 08.05.2013 written by the then Secretary, Revenue and Land Reforms -cum- Director, Land Records and Measurement, Sri Hukum Singh Meena. It appears that, all the facts were not placed before the law department.

A true copy of the letter no. 867 dated 08.05.2013 written by the then Secretary, Revenue and Land Reforms -cum- Director, Land Records and Measurement, Sri Hukum Singh Meena is being annexed herewith and marked as Annexure- 5.

16. That, the pendency of cases under section 106, 108, 108A B.T. Act, causing the problem of law and order in the society.

17. That, the petitioner has been left with no other alternative and efficacious remedy than to move this Hon'ble Court in writ jurisdiction and hence this application.

18. That, the petitioner has never moved this Hon'ble Court for the same and similar prayers as sought for in this application.

It is therefore humbly prayed that, this Hon'ble Court may graciously be pleased to admit this application, issue Rule NISI upon the respondents and after the return of the rule hearing the parties, allow the prayers

made in paragraph no. (1) of this writ
application and allow this application,

Or,

Pass such other order/orders as this
Hon'ble Court may deem fit and proper.

And for this the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Dilip Kumar Mehta, aged about 50 years, son of Sri Basudeo Mehta, resident of village- Kachara, P.O.- Kachara, P.S.- Saur Bazar, District- Saharsa, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That, I am petitioner in this case and hence am well acquainted with the facts and circumstances of this case.
2. That, the contents of this affidavit have been read over and explained to me in Hindi, which I understood well and the statements made in paragraph no. 1, 2, 3, 14 and 18 are true to my knowledge and the statements made in paragraph no. 1 to 13, 15, 16 and 17 are true to my information which I believe to be true.
3. That, the annexure are true copies of its respective originals.

दिलीप कुमार मेहता

आधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 19/6/01

एस0 ओ0 777 बिहार अभिधति अधिनियम, 1885 (बिहार अधिनियम 3, 1885) की धारा 101 के अन्तर्गत (1) के तहत बन्दोबस्त कार्यालयों का निर्माण करने हेतु बिहार सरकार के आदेश से विभागीय अधिसूचना संख्या ए/एस0 - 1014/62 - 2980 आर0 दिनांक 04 मई 1962, ए/एस0 - 101/64 दिनांक 28 नवम्बर 1964, ए/एस0 - 101/66 - 1906 - आर0 दिनांक - 14 मार्च 1966, 5/सर्वे - 07-0-4/71-7683 - भू0 सु0 दिनांक 16 अक्टूबर 1971 द्वारा बन्दोबस्त कार्यालय, सहरसा के अन्तर्गत सहरसा, मधेपुरा तथा सुपौल जिला के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में भू-सर्वेक्षण कार्यक्रम के द्वारा भू-अभिलेखों को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिए जाने के फलस्वरूप भू-सर्वेक्षण कार्यक्रम को समाप्त किया जाता है।

2. भू-सर्वेक्षण कार्यक्रम द्वारा अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेखों के संधारण तथा बी0 टी0 एक्ट की धारा 106, 108 तथा 108 A के अन्तर्गत लंबित वादों की सुनवाई हेतु निम्नलिखित व्यवस्था कायम की जाती है :-

- (i) बन्दोबस्त कार्यालय, सहरसा के अन्तर्गत सहरसा, मधेपुरा तथा सुपौल जिला के अंतिम रूप से प्रकाशित भू-अभिलेख संबंधित जिलों को हस्तांतरित कर दिए जाएँ.
- (ii) बी0 टी0 एक्ट की धारा 106, 108 तथा 108 A के अन्तर्गत लंबित वादों की सुनवाई संबंधित जिलों के समाहर्ता/अपर समाहर्ता द्वारा की जाएगी। इस कार्य हेतु बी0 टी0 एक्ट की धारा 108 A के अनुरूप संबंधित पदाधिकारियों को शक्ति प्रदत्त की जाएगी।
- (iii) बन्दोबस्त कार्यालय, सहरसा में पदस्थापित अराजपत्रित कर्मचारियों को निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण द्वारा जैसे बन्दोबस्त कार्यालयों में स्थानान्तरित/पदस्थापित किया जाए, जहाँ वर्तमान में कर्मचारियों की कमी के कारण कार्य समाप्त हो रहा है.
- (iv) वर्तमान में बन्दोबस्त कार्यालय, सहरसा में पदस्थापित अराजपत्रित कर्मचारियों में से अस्थायी तौर पर वर्ग - III के कर्मचारियों को समाहर्ता, सहरसा के अधीनस्थ कार्यरत रखा जाए जो भू-अभिलेखों के संधारण एवं हस्तांतरण का कार्य पूरा करेंगे.
- (v) बन्दोबस्त पदाधिकारी, सहरसा को जैसे बन्दोबस्त कार्यालय में स्थानान्तरित/पदस्थापित करने हेतु प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध कराया जाए, जहाँ वर्तमान में बन्दोबस्त पदाधिकारी का पद रिक्त है.
- (vi) बन्दोबस्त कार्यालय, सहरसा में पदस्थापित अन्य पदाधिकारियों यथा सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, राजस्व को अन्य बन्दोबस्त कार्यालयों में उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध पदस्थापन हेतु किनागीव स्तर से कार्रवाई की जाए.
- (vii) बन्दोबस्त कार्यालय, सहरसा में संधारित भू-अभिलेखों के हस्तांतरण के कार्य हेतु पदस्थापित कर्मचारियों के वेतनादि का भुगतान पूर्व की भाँति बजट मुख्यशीर्ष - 2029 - भू-राजस्व-समूह शीर्ष-राजस्व योजना - लघु शीर्ष - 102 - सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त - 1 - उपशांख - 0101 - सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्यों का पुनरीक्षण, विपत्र कोड पी. 2029001020101 से किया जाए.

Typed Copy

(टाइप कॉपी)

संख्या----- 1

बिहार सरकार ,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना ,

पटना-15, दिनांक 19-06-01

एस0 ओ0 777, बिहार अभिधति अधिनियम 1885 (बिहार अधिनियम 8, 1885) की धारा 101 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य पाल के आदेश से विभागीय अधिसूचना संख्या ए/ एस-1014/62-2980 आर0 दिनांक 04 मई 1962 ए/ एस0-101/64, दिनांक 28 नवम्बर 1964 ए/ एस-101/66-1906- आर0 दिनांक -14 मार्च 1966, 5/ सर्वे-07-0-4/71-7683- मू0 सु0 दिनांक 16 अक्टूबर 1971 द्वारा कन्दोवस्त कार्यालय, सहरसा के अन्तर्गत सहरसा, मधुपुरा तथा सुपौल जिला के ग्रामीण तथा शहरी दोनों में मू- सर्वेक्षण कार्यक्रम के द्वारा- मू- अभिलेखों को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिए जाने के फलस्वरूप मू- सर्वेक्षण कार्यक्रम को समाप्त किया जाता है।

2- मू- सर्वेक्षण कार्यक्रम द्वारा अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेखों के सधारण तथा बी0टी0 एक्ट की धारा 106, 108, तथा 108 ए के अन्तर्गत लंबित वादों की सुनवाई हेतु निम्नलिखित व्यवस्था कायम की जाती है :-

(1) कन्दोवस्त कार्यालय, सहरसा के अन्तर्गत सहरसा, मधुपुरा तथा सुपौल जिला के अंतिम रूप से प्रकाशित मू- अभिलेख संबंधित जिलों को हस्तान्तरित कर दिए जाए।

(ii) बी0टी0 एक्ट की धारा 106, 108, तथा 108 ए के अन्तर्गत लंबित वादों की सुनवाई संबंधित जिला के समाहर्ता/ अपर समाहर्ता द्वारा की जायगी। इस कार्य हेतु बी0टी0 एक्ट की धारा 108 ए के अन्तर्गत संबंधित पदाधिकारियों को शक्ति प्रदत्त की जाएगी।

(2)

लगातार---

(1/1) बन्दोवस्त कार्यालय, सहरसा में पदस्थापित अराजपत्रित कर्मचारियों को निदेशक, मू- अभिलेख एवं परिमाण द्वारा वैसे बन्दोवस्त कार्यालयों में स्थानान्तरित/ पदस्थापित किया जाए, जहाँ वर्तमान में कर्मचारियों की कमी के कारण काम प्रभावित हो रहा है।

(1/2) वर्तमान में बन्दोवस्त कार्यालय, भागलपुर में पदस्थापित/ अराजपत्रित कर्मचारियों में से अस्थायी तौर पर वर्ग- 111 के कतिपय कर्मचारियों को समाह्वान, सहरसा के अधीनस्थ कार्यरत रखा जाए जो मू- अभिलेखों के संचारण एवं हस्तांतरण का कार्य पूरा करें।

(1/3) बन्दोवस्त पदाधिकारी सहरसा को वैसे बन्दोवस्त कार्यालय में स्थानान्तरण / पदस्थापित करने हेतु प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध कराया जाए जहाँ वर्तमान में बन्दोवस्त पदाधिकारी का पद रिक्त है।

(1/4) बन्दोवस्त कार्यालय, सहरसा में पदस्थापित अन्य पदाधिकारियों यथा सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी, सहरसा राजस्वको अन्य बन्दोवस्त कार्यालयों में उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध पदस्थापित हेतु विभागीय स्तर से कार्रवाई की जाए।

(1/ii) बन्दोवस्त कार्यालय, सहरसा में संचारित मू- अभिलेखों के हस्तांतरण के कार्य हेतु पदस्थापित कर्मचारियों के वेतनादि का भुगतान पूर्व की भांति बजट मुख्यशीर्ष 2029- मू- राजस्व- समूह शीर्ष- राज्य योजना- लघु शीर्ष-102- सर्वेक्षण तथा बन्दोवस्त कार्य उपशीर्ष-0101- सर्वेक्षण और बन्दोवस्त कार्य का पुनरीक्षण, विपन्न कोड पी2029001020101 से किया जाए।

क्रमशः-----

(3)

(17iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा कर्त्तमान बन्दोवस्त पदाधिकारियों, सहरसा को अन्यत्र पदस्थापित कर दिए जाने की स्थिति में निदेशक भू- अभिलेख एवं परिमाण विहार, पटना द्वारा समाह्वी -सह- बन्दोवस्त पदाधिकारी सहरसा के पदनाम से आवंटनादेश निर्गत किया जाय ।

(iv) विभाग द्वारा राजस्व पदाधिकारियों को अन्यत्र पदस्थापित कर दिए जाने के पश्चात् शेष कर्मचारियों के कानादि की निकासी एवं अन्य वाध्यकारी कार्यों के निष्पादन हेतु अंचलाधिकारी, सदर सहरसा अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) के रूप में भी कार्यों का निष्पादन करेंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

हो।अस्पष्ट

(रविंदन सहाय)

सरकार के उप सचिव

17-6-08,

ज्ञापक 17- भू- सर्वेक्षण (सहरसा) -56/ 2008 777 पटना, 15

दिनांक 19-6-08

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस, गुलजारबाग, पटना-7 को बिहार राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित। इनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 100 अतिरिक्त प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ।

हो।थअस्पष्ट

17-6-08,

सरकार के उप सचिव,

ज्ञापक- 17- भू सर्वेक्षण (सहरसा) -56/ 2008 777 पटना, 15

दिनांक 19-6-08,

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव के सचिव सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सचिव, राजस्व पर्षद/ समाह्वी, सहरसा बन्दोवस्त

ANNEXURE-2

14

राजस्व पधंद, बिहार।

भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय।

पत्र संख्या :- 17-बन्दोबस्त(सहरसा)-56/2008... 1303



दयाशंकर पाण्डेय,
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (गु),
बन्दोबस्त कार्यालय,
सहरसा।

पटना, दिनांक 15/8/08

विषय :- बन्दोबस्त कार्यालय, सहरसा को बंद करने संबंधी विभागीय अधिसूचना के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि विभागीय अधिसूचना संख्या 777 दिनांक 19.08.2008 द्वारा बन्दोबस्त कार्यालय, सहरसा को बंद किया जा चुका है। इसके फलस्वरूप बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी, सहरसा की सेवाएँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा वापस ली जा चुकी है।

वर्णित परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि बन्दोबस्त कार्यालय, सहरसा को शीघ्र अंतिम रूप से बन्द कर अन्य अधिसूचित जिले में सर्वेक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए।

पूर्व में निदेश दिया गया था कि :-

1. सभी निष्पादित अभिलेखों को संबंधित जिलों के अभिलेखागार में जमा करा दिए जाएं, आशा है कि यह कार्य पूरा हो चुका होगा,
2. लम्बित अभिलेखों की सूची तैयार कर अविलम्ब इसे संबंधित जिले के समाहर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रक्रिया आरम्भ की जाय एवं सूची एवं अभिलेख तैयार रखे जाएं ताकि माह - अक्टूबर, 2008 के अन्तिम सप्ताह में इसे उपलब्ध कराया जा सकें,
3. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि के बाद से न्यायालय कार्य नहीं किया जा सकता है, और यदि इसके बावजूद भी न्यायालय कार्य किया गया है या अभिलेखों पर आदेश पारित किया गया है तो यह अवैधानिक है एवं इसकी मान्यता नहीं दी जा सकती है। अतः न्यायालय को अविलम्ब बन्द कर अभिलेख वापस प्राप्त कर लिया जाए
4. प्राप्त सूचना के अनुसार अभी भी कार्यालय से अभिलेख निकाल कर उसमें एक व्यक्तिगतों द्वारा Back date में आदेश पारित किया जाता है। ऐसी घटना न हो इसके लिए आवश्यक है कि भू-अभिलेख में तरमोच की कवरबाई वसीय पदाधिकारियों का निगरानी न होने के कारण तत्काल प्रभाव से बन्द कर दी जाए,
5. सभी स्थानान्तरित कर्मचारियों, जिन्होंने विरगित करने पर रोक या त्रेकिन उनके पास कोई कार्य नहीं किया जा रहा है को भी (लेकिन सहाय्य कार्यों में प्रतिनियुक्त को छोड़कर) को अविलम्ब स्थानान्तरित स्थान पर योगदान देने हेतु विरगित कर दिया जाए,

(कृपयुक्त)

Typed Copy

रने-सवर-2

राजस्व पर्षाद, विहार ।

मू- अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय ।

पत्र संख्या-17- वन्दोवस्त(सहरसा)-56 /2008- 1303

प्रेषक,

दयाशंकर पाण्डेय,

निदेशक,

मू- अभिलेख एवं परिमाण,

बिहार, पटना ।

सेवा में,

सहायक वन्दोवस्त पदाधिकारी(मु0),

वन्दोवस्त कार्यालय,

सहरसा ।

पटना, दिनांक 18-9-08

विषय :- वन्दोवस्त कार्यालय, सहरसा को वंद करने संबंधी विभागीय

महाशय, अधिसूचना के अनुपालन के संबंध में ।

बदवसत आप अवगत है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 777, दिनांक 19-08-

2008 द्वारा वन्दोवस्त कार्यालय, सहरसा को वंद किया जा चुका है।

इसके फलस्वरूप वन्दोवस्त पदाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी,

सहरसा की सेवाएँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा वापस

कि जा चुकी है ।

वर्णित परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि वन्दोवस्त कार्यालय, सहरसा को शिघ्र अंतिम रूप से वन्द कर अन्य अधिसूचित जिले में संवैधाना कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए ।

पूर्व में निदेश दिया गया था कि :-

1- सभी निष्पादित अभिलेखों को संबंधित जिलों के अभिलेखागार में जमा

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

CWJC No.18646 of 2008

BIRENDRA RISHIDEV, SON OF SRI SARIJG RISHIDEV,
RESIDENT OF VILLAGE PATOURI, P.S. & P.O. & BLOCK
SINGHESHWAR, DISTRICT MADHEPURA, AT PRESENT
MEMBER PANCHAYAT SAMITI, PATOURI PANCHAYAT,
DISTRICT MADHEPURA.

Versus

1. THE STATE OF BIHAR, THROUGH THE CHIEF SECRETARY, GOVERNMENT OF BIHAR, OLD SECRETARIAT, PATNA.
2. THE PRINCIPAL SECRETARY, DEPARTMENT OF REVENUE AND LAND REFORMS, GOVERNMENT OF BIHAR, AT PATNA.
3. THE DIRECTOR, LAND RECORDS AND MEASUREMENT, GOVERNMENT OF BIHAR, PATNA.
4. THE SETTLEMENT OFFICER, SAHARSA.
5. THE ASSISTANT SETTLEMENT OFFICER, SAHARSA.
6. THE DISTRICT MAGISTRATE, SAHARSA.
7. THE DISTRICT MAGISTRATE, MADHEPURA.
8. THE DISTRICT MAGISTRATE, SUPAUL.

63. 16.12.2010

Heard learned counsel for the petitioner and the respondents.

2. Petitioner is aggrieved by the direction of the Director, Land Records and Measurement, Bihar, Patna contained in letter no.1303 dated 18.9.2008, Annexure-1, whereunder instructions have been issued to close the revisional survey operations together with the forum of Assistant, Settlement Officer and revisional authority under Sections-106, 108, 108A of the B.T. Act within Saharsa Division where survey proceedings have been completed. Survey proceedings may have been completed but the objection in the light of the survey entries made in the Khatian is to be considered by the Assistant,

06E5297 7595

STAMP DUTY
0000

STAMP DUTY
0000

STAMP DUTY
0000

DEPARTMENT OF POST
BIHAR CIRCLE

CONFIDENTIAL

AUTH. NO. 3184 DT. 16/12/2003

Stamp: 0000003, 21.12.2010, Patna, Bihar

Stamp: 372402, Zero-Zero-Zero-Zero-Zero-Zero

Stamp: INDIA

COPY

सेवा में,

प्रधान सचिव,
राज्य एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :- सहरसा, मधेपुरा, एवं सुपौल जिला में धारा 106, 108, 108ए बी टी एक्ट के अंतर्गत सुनवाई के लिये अधिकार, सहायक वन्दोक्त पदाधिकारी एवं वन्दोक्त पदाधिकारी के न्यायालय की स्थापना के लिए ।

महोदय,

सेवा में निवेदन है कि जिला सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल में पिछले कई वर्षों से धारा 106, 108, 108 ए बी टी एक्ट के अन्तर्गत लंबित मामलों की सुनवाई नहीं हो रही है । पूर्व में माननीय पटना उच्च न्यायालय में भी न्यायालय लौटने व कलाने का निर्देश दिया था । परन्तु न्यायालय नहीं चलाया गया । जिलाधीन फाइलें 40,498 वाद धारा 106 बी टी एक्ट में एवं करीब ³⁹⁰⁶ वाद धारा 108 बी टी एक्ट में लंबित हैं ।

उपरोक्त कारणों से इन रैंक जो कि मधेपुरा, सहरसा और सुपौल के हैं, पारी दिवसों का सामना करना पड़ रहा है ।

आपसे अनुरोध है कि अधिकार सहायक वन्दोक्त पदाधिकारी, एवं वन्दोक्त पदाधिकारी के न्यायालय की स्थापना की जाए, एवं लंबित बायों का निपटारा किया जाय ।

आपकी विवाली,

दिनांक 10-12-2014

(दिलीप कुमार मेहता)
SAO- कहरा, पो 0 कहरा,
जिला- सहरसा.

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

सं. 21/17 तक0को0 भागलपुर - 02/2013 867

हुकुम सिंह मीणा, भा090900
सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
-सह-
निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

पटना में

समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी,
पटना, म.ग. दरमंगा, सहरसा, भोजपुर, भागलपुर।

पटना, दिनांक :- 08/05/13

विषय - BTACs के विभिन्न प्रक्रमों के अन्तर्गत लंबित वादों के निष्पादन के संबंध में।

महामार

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार कास्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा-106, 108, 108A के अन्तर्गत विचाराधीन वादों के निष्पादन हेतु विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया जो निम्न प्रकार है :-

"बिहार कास्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा-106, 108, 108A के अन्तर्गत विचाराधीन वादों का हस्तांतरण भूमि सुधार उप समाहर्ता न्यायालय में करना उचित नहीं होगा क्योंकि ऐसा करने पर वादों में विवादित संपत्ति का री-सर्वे किया जाना संभव नहीं होगा क्योंकि भावला सब जुद्धिश की श्रेणी में आ जाएगा। अतः उचित होगा कि अधिनियम, 2011 के आलोक में नै-सर्वे का कार्य पूर्ण करने के पश्चात् उक्त कास्तकारी को नियमावली-15 के अन्तर्गत अपने आपत्ति या दावा नए रिटे से दाखिल करने का अधिकार होगा।"

अतः विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई कि जाए।

विश्वासभाजन

Hukum Singh
(हुकुम सिंह मीणा)
सचिव-सह-निदेशक

Typed Copy

(टाईप कॉपी)

एनेक्सर---- 5

बिहार सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू- अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या -17 तक 0 को 0 भागलपुर, -02/2013--867,

प्रेषक,

हुकुम सिंह मीणा, भा⁰ प्र० से०,
सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

-सह-

निदेशक, भू- अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार पटना ।

सेवा में,

समाह्वी-सह- बन्दोक्स्त पदाधिकारी,
पटना, गया, दरभंगा, सहरसा, मोजपुर, भागलपुर ।

पटना, दिनांक 08-05- 13

विषय :- बी टी एक्ट (बी०टी एक्ट) के विभिन्न प्रकरणों के अन्तर्गत
लंबित वादों के निष्पादन के संबंध में

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहला है कि बिहार कास्तकारी
अधिनियम, 1885 की धारा- 106, 108, 108 ए के अन्तर्गत विवाराधीन
वादों के निष्पादन हेतु विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया जो निम्न
प्रकार है :-

बिहार कास्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 106, 108, 108 ए

क्रमः----

(9)

के अन्तर्गत विचाराधीन वादों का हस्तान्तरण भूमि सुधार उप समाह्वार, न्यायालय में करना उचित नहीं होगा। क्योंकि ऐसा करने पर वादों में विवादित संपत्ति का री- सर्वे किया जाना संभव नहीं होगा, क्योंकि मामला सर्वजुडिश की श्रेणी में आ जाएगा। अतः उचित होगा कि अधिनियम 2011 के आलोक में री- सर्वे का कार्य पूर्ण करने के पश्चात् उक्त कास्तकारों को नियमावली-15 के अन्तर्गत अपने आपत्ति या दावा नए सिरे से दाखिल करने का अधिकार होगा।

अतः विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई कि जाए।

विश्वास भाजन,

ह01- 08-05- 13

(कुमुद सिंह मीणा)

सचिव-सह- निदेशक,

Settlement Officer and the revisional authority in terms of the provisions contained in Sections-106, 107, 108A of the B.T. Act.

3. Realizing the aforesaid mistake in closing the forum of Assistant, Settlement Officer and the revisional authority, the authorities have taken steps to

has been made in the counter supplementary counter affidavit. It, however appears from the supplementary counter affidavit that forum of Assistant Settlement Officer is not functioning in the district of Supaul for want of space.

4. Let the Collector, Supaul ensure provision of adequate appropriate space so as to enable the Assistant Settlement Officer, Supaul to discharge his duties, as early as possible, in any case within one month from the date of receipt/production of a copy of this order before the Collector, Supaul.

5. The writ application is, accordingly, disposed of.

Rajesh

sd/-
(V. N. Sinha, J.)

COPYING MARK

3/11/2011
93/90/1032
CERTIFIED TO BE TRUE PHOTO COPY
For Joint Registrar (J) Patna High Court
Substituted Under Act 1 of 1879

(6)

जमा करा दिए जाए। आशा है कि यह कार्य पूरा हो चुका होगा।

- (2) लंका अभिलेखों की सूची तयार कर अक्लम्व इसे संबंधित जिले के समाह्वर्ता को उपलब्ध कराने हेतु प्रक्रिया आरम्भ की जाय एवं सूची एवं अभिलेख तयार रखे जाय। कि मोह- अक्टूबर 2008 के अंतिम सप्ताह में इसे उपलब्ध कराया जा सके।
- (3) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि के बाद से न्यायालय कार्य नहीं किया जा सकता है, और यदि इसके बावजूद भी न्यायालय कार्य किया गया है या अभिलेखों पर आदेश पारित किया गया है तो यह अवैधानिक है एवं इसकी मान्यता नहीं दी जा सकती है। अतः न्यायालय को अक्लम्व बन्द कर अभिलेख वापस प्राप्त कर लिया जाय।
- (4) प्राप्त सूचना के अनुसार सभी भी कार्यालय से अभिलेख निकाल कर उसमें कई व्यक्तियों द्वारा बैंक डेट में आदेश पारित किया जाता है। ऐसी घटना न हो इसके लिए आवश्यक है कि नू- अभिलेख में तरगीम की कारवाही वरीय पदाधिकारियों की निगरानी न होने के कारण तत्काल समय से बंद कर दी जाए।
- (5) सभी स्थानान्तरित कर्मचारियों, जिन्हें विरमित करने पर रोक था, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है को भी (लेकिन सहाय्य कार्यों में प्रतिनियुक्त को छोड़कर) को अक्लम्व स्थानान्तरित स्थान पर योगदान देना हेतु विरमित कर दिया जाय।

क्रमशः---

(7)

(6) वन्दोक्त कार्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों / कर्मचारियों की समेकित सूचना पत्राण के साथ एवं उपस्कर आदि की सूची तैयार कर दिनांक 15-10-2008 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए ताकि इनका स्थानान्तरण किया जा सके ।

(7) दिनांक 30-11-2008 के पूर्व वन्दोक्त कार्यालय, सहरसा का अंतिम रूप से बन्द कर देना है, अतएव इसके पूर्व सभी औपचारिकताएँ निश्चित रूप से पूरी कर ली जाए । दिनांक 30-11-2008 के बाद वन्दोक्त कार्यालय के लिए किसी प्रकार का आवंटन निर्गत नहीं किया जाएगा ।

(8) उप निदेशक, विहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजार बाग द्वारा सूचित किया गया है कि रिजिजनल सर्वे के सभी मानचित्र उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं । अतः कार्यालय से जांच कर सुनिश्चित कर लें कि वन्दोक्त कार्यालय, सहरसा द्वारा संबंधित एवं अंतिम रूप से प्रकाशित मानचित्र गुलजारबाग प्रेस को भेज दिया गया । यदि कोई मानचित्र प्रकाशन हेतु लम्बित हो तो उसे शीघ्र उप निदेशक, गुलजारबाग को उपलब्ध करा दिया जाए ।

तदनुसार आवश्यक कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

विश्वास भाजन,

ह.०।-अस्पष्ट

18-9-08,

(दयाशंकर पाण्डेय)

निदेशक,

भू- अभिलेख एवं परिमाण,

बिहार, पटना,

ह.०।-अस्पष्ट 19-9-08।

- 6. बन्दोबस्त कार्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों की समेकित सूची पदनाम के साथ एवं उपस्कर आदि की सूची तैयार कर दिनांक 15.10.2008 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए ताकि इनका स्थानान्तरण किया जा सकें।
 - 7. दिनांक 30.11.2008 के पूर्व बन्दोबस्त कार्यालय, राहसरसा का जांचनामा शीघ्र तैयार कर देना है। अतएव इसके पूर्व सभी औपचारिकताएँ निश्चित रूप से पूरी कर ली जाएं। दिनांक 30.11.2008 के बाद बन्दोबस्त कार्यालय के लिए किसी प्रकार का आवंटन निर्गत नहीं किया जाएगा।
 - 8. उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग द्वारा सूचित किया गया है कि शीविजनल सर्वे के सभी मानचित्र उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। अतः कार्यालय से जांच कर सुनिश्चित कर लें कि बन्दोबस्त कार्यालय, राहसरसा द्वारा सर्वेक्षित एवं अंतिम रूप से प्रकाशित मानचित्र, गुलजारबाग प्रेस को भेज दिया गया। यदि कोई मानचित्र प्रकाशन हेतु लम्बित हो तो उसे शीघ्र उप निदेशक, गुलजारबाग को उपलब्ध करा दिया जाए।
- तदनुसार आवश्यक कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विश्वासनाथन

(व्यक्तिगत धारण)

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिसर,
बिहार, पटना।

दिनांक 31/10/08

लगातार

(4)

वन्दोवस्त पदाधिकारी, सहरसा / समाह्वी अपर समाह्वी,
सहरसा, मधुपुरा तथा सुपौल/ अंचलाधिकारी सवर, सहरसा को सूचनाय
प्रेषित ।

ह०।-अस्पष्ट

17-6-08,

सरकार के उप सचिव ,

ह०।-अस्पष्ट 17-6-08,

- (viii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा वर्तमान बन्दोबस्त पदाधिकारी, सहरसा को अन्यत्र पदस्थापित कर दिए जाने की स्थिति में निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना द्वारा "समाहर्ता" सह "बन्दोबस्त पदाधिकारी सहरसा" के पदनाम से अतिरिक्त सहायक नियुक्त किया जाये।
- (ix) विभाग द्वारा राजस्व पदाधिकारियों को अन्यत्र पदस्थापित कर दिए जाने के पश्चात्, शेष कर्मचारियों के वेतनादि की निकासी एवं अन्य बाध्यकारी कार्यों के निष्पादन हेतु अंचलाधिकारी, सदर, सहरसा अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) के रूप में भी कार्यों को निष्पादन करेंगे,

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(रविन्द्र सिंह)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापक :- 17 - भू-सर्वेक्षण(सहरसा)-56/2008. ~~777~~ पटना - 15, दिनांक 19/6/08.

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस, गुलजारबाग, पटना-7 को बिहार राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित। इनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 100 अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

सरकार के उपसचिव

ज्ञापक :- 17 - भू-सर्वेक्षण(सहरसा)-56/2008. ~~777~~ पटना - 15, दिनांक 19/6/08

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव के सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव, राजस्व पर्षद/समाहर्ता, सहरसा/बन्दोबस्त पदाधिकारी, सहरसा/ समाहर्ता, अपर समाहर्ता, सहरसा, मधेपुरा तथा सुपौल/अंचलाधिकारी सदर, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उपसचिव

108 B.T. Act and other miscellaneous cases, in Saharsa, Madhepura and Supoul Districts.

- 19.06.08 :- By one Notification No. 777 dated 19.06.08, issued by the Deputy Secretary, Revenue and Land Reforms Department, Government of Bihar, the Survey Work in Saharsa Settlement, was closed. This notification further made some arrangements for hearing of pending cases u/s- 106, 108, 108A B.T. Act.
- 18.09.08 :- The Director Land Records and Measurement, Bihar, Patna had issued directions, contained in letter no.1303 dated 18.09.2008, where under instructions were issued to close the revisional survey operations and also to close the forum of Assistant Settlement Officer of hearing the matter under section 106 B.T. Act and the forum of Collector for hearing the revision under section 108, 108A, B.T. Act.
- 16.12.10 :- Being aggrieved with the direction mentioned above, one raiyat like this petitioner namely Birendra Rishidev had moved this Hon'ble Court in CWJC No. 18646 of 2008, because even if the survey proceedings have been completed but the objection in the light of the survey entries made in the Khatiyani is to be considered by the Assistant Settlement Officer and the revisional authority. The writ was disposed of with certain directions.
- :- In spite of the above mentioned order of this Hon'ble Court, the courts of Assistant Settlement Officer and the revisional courts was not allowed to run properly. No proper and competent staffs, such as Peshkars, clerks, peons etc. were posted in these courts. The Assistant Settlement Officer (Md. Reyazuddin Ahmad), who was posted there, was suspended on frivolous charges. The senior and experienced officers were not allowed to work. In the result no case under section 106, 108, 108A B.T. Act, was disposed of and several cases are still pending.
- 10.12.14 :- Petitioner filed representations before the respondents but not considered.

Hence this writ application.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

[Civil Writ Jurisdiction]

C.W.J.C. No. of 2015

In the matter of an application
under Article 226 of the
Constitution of India;

And

In the matter of:-

DILIP KUMAR MEHTA, son of Sri Basudeo Mehta, resident of
village- Kachara, P.O.- Kachara, P.S.- Saur Bazar, District-
Saharsa.

.....Petitioner.

-Vrs.-

1. The State of Bihar, through the Chief Secretary, Government of Bihar at Patna.
2. The Principal Secretary, Department of Revenue and Land Reforms, Government of Bihar at Patna.
3. The Director, Land Records and Measurement, Government of Bihar at Patna.
4. The Secretary, Law Department, Government of Bihar at Patna.
5. The Collector-cum-Settlement Officer, Saharsa.
6. The Collector-cum-Settlement Officer, Madhepura.